Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में रेलवे मंडल के वेलफेयर इन्सपेक्टर एवं तकनीशियन (क्रेन जमादार) 3 लाख 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 सितम्बर, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जोधपुर एसयू इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर रेलवे मंडल, भगत की कोठी, जोधपुर एवं नन्दकिशोर तकनीशियन (क्रेन जमादार) रेलवे डीजल शेड, भगत की कोठी, जोधपुर को परिवादी से **3 लाख 35 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर एसयू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य कारणों से तकनीकी पद से अयोग्य करार दिये जाने के पश्चात श्रेणी परिवर्तन की पत्रावली पर पक्ष में अनुशंसा करने की एवज में राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर रेलवे मंडल, भगत की कोठी, जोधपुर द्वारा अपने दलाल नन्दकिशोर तकनीशियन (क्रेन जमादार) रेलवे डीजल शेड, भगत की कोठी, जोधपुर के माध्यम से परिवादी से **3 लाख 35 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर एसयू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेन्द्र गुर्जर वेलफेयर इन्सपेक्टर रेलवे मंडल, भगत की कोठी, जोधपुर एवं नन्दकिशोर तकनीशियन (क्रेन जमादार) रेलवे डीजल शेड, भगत की कोठी, जोधपुर को परिवादी से **3 लाख 35 हजार रुपये (35 हजार रुपये भारतीय मुद्रा एवं 3 लाख रुपये डमी केरेंसी) की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।